संख्या-18/2022/480/001-53-2099-925-2019

प्रेषक,

राम सहाय यादव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी। आगरा, मैनपुरी, झांसी, जालौन(उरई), हमीरपुर, महोबा, बांदा, लखनऊ, लखीमपुर-खीरी, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मेरठ, रामपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, प्रयागराज(इलाहाबाद), प्रतापगढ़, कानपुर, अयोध्या(फैजाबाद), अम्बेडकरनगर, बहराईच, गोण्डा ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 12 जुलाई, 2022**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति (जिला योजना-एस0सी0पी0) अनुदान संख्या-83 ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 के पत्रांक-72/दुग्ध-4/नियो0/ सुदृ□ीकरण-एस0सी0पी0(271)/2022-23, दिनांक 10 मई, 2022 एवं पत्रांक-141/दुग्ध-4/नियो0/ सुदृ□ीकरण-एस0सी0पी0(271)/2022-23,दिनांक 16 जून, 2022 के सदंर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राविधानित धनराशि रूपये 2695.16 लाख के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में रू0 1354.6912 लाख (रूपये तेरह करोड चौवन लाख उनहत्तर हजार एक सौ बीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल संलग्नक के अनुसार संबन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) यह धनराशि अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए एस0सी0पी0/ टी0एस0पी0 के मानक के अनुरूप व्यय की जायेगी।

(2) यह धनराशि वित्तीय वर्ष 2022-23 में चालू योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लाभार्थियों के लिए अनुदान व्यय हेतु है।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा और धनराशि किसी भी स्तर पर बैंक खाता/डाकघर में जमा नहीं की जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग मात्र अनुसूचित जाति के सदस्यों से गठित/पुनर्गठित समितियों पर ही किया जायेगा ।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि में से अनुरक्षण मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। यदि किसी अनुरक्षण मद पर कोई व्यय आवश्यक हो तो दुग्ध संघ/समितियां अपने संसाधन से वहन करेंगे।

(6) भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा अनुसूचित जाति के उपयोगिता के लिए निर्धारित मानकों/दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा वित्तीय स्वीकृति के उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के साथ संलग्न सूची मे उल्लिखित धनराशियों की शुद्धता एवं सही होने का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 का होगा।

(8) सम्बन्धित जनपदों की वास्तविक आवश्यकता एवं भौतिक लक्ष्यों के आधार पर धनराशि आहरित की जायेगी तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि को सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना के अन्तर्गत होने वाली बचतों में समयोजित किया जायेगा, साथ ही सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति को भी यथा समय अवगत कराते हुए कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(9) उक्त धनराशि जिला योजना हेतु आवंटित परिव्यय में समायोजित होगी। अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेश/संगत नियमों में उल्लिखित शर्तो व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। व्यय मे किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए सम्बंन्धित आहरण वितरण अधिकारी/धनराशि का उपयोग करने वाले इकाई प्रभारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें। किसी भी प्रकार की विचलन की स्थिति में भी वे स्वयं भी जिम्मेदार होंगे। धनराशि का व्यय जिन कार्यो/मदों हेतु अनुमन्य है, उसी प्रयोजन में किया जायेगा। किसी अन्य मद में व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

(10) जिन मदों मे व्यय के पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका के अधीन शासन/समक्ष अधिकारी के पूर्व स्वीकृति/सहमति आवश्यक है, उनमें धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से शासन/समक्ष अधिकारी की स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

(11) स्वीकृति की जा रही धनराशि का उपयोग व्यवसाय को सुदृढ़ करने हेतु किया जायेगा तथा किसी भी दशा में अनुत्पादक मद में इसका व्यय/उपयोग नहीं किया जायेगा। साथ ही स्वीकृत धनराशि अनुसूचित जाति के सदस्यों से गठित/पुनर्गठित समितियों पर ही किया जायेगा।

(12) दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग द्वारा सम्बन्धित दुग्ध संघों को प्रश्नतगत कार्यक्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 में निर्गत किश्त की धनराशि का निर्धारित मदों में उपयोग सुनिश्चित करते हुए इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र संकलित कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(13) धनराशि का आहरण करने तथा संबंधित दुग्ध संघ को उपलब्ध कराने के बाद स्वीकृत धनराशि का निर्धारित प्रयोजन पर उपयोग सुनिश्चित कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र दुग्ध आयुक्त को यथासमय उपलब्ध कराने का दायित्व संबंधित प्रबन्धक/सामान्य प्रबन्धक, दुग्ध संघ एवं उप दुग्धशाला विकास अधिकारी का होगा ।

(14) एतदद्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण तथा उसके उपयोग के सम्बन्ध में आहरण अधिकारी के लेखे-बही खाते एवं सम्बन्धित दुग्ध संघों के लेखे एवं बही खाते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के अवलोकनार्थ/परीक्षणार्थ उपलब्ध रहेंगे।

(15) गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष की स्वीकृतियों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा तथा योजनावार/जनपदवार एवं जिला योजना समिति से परिव्यय प्राप्त कर लिया जायेगा ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 13,54,69,120 (रुपये तेरह करोड़ चौवन लाख उनहत्तर हजार एक सौ बीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लेखा शीर्षक 2404007890600 वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनजीर्वित करने की योजनान्तर्गत दुग्ध संघों को अनुदान **मानक मद** 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राम सहाय यादव)
विशेष सचिव।

संख्या- 18/2022/480(1)/001-53-2099-925-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,लखनऊ/ प्रयागराज ।
3- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज ।
4- दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्क रोड, लखनऊ ।
6- सम्बन्धित मण्ड्लायुक्त ।
7- सम्बन्धित जिलाधिकारी ।
8- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी ।
9- सम्बन्धित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी ।
10- सम्बन्धित इकाई प्रभारी, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, उ0प्र0 ।
11- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, लखनऊ ।
12- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1/ नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3
13- सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0 ।
14- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी ।
15- वेबमास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु ।
16- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
ह0/-
(राम सहाय यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।